भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 403
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निधि को रोका जाना

403. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 9 मार्च, 2022 से निधि रोकी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के संदर्भ में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा निधि का कम उपयोग किया गया है और यदि हां , तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2024-25 के लिए निधि को जारी करने हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तुत लंबित दावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के अनुसार , योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में , वित्तीय दुरुपयोग, गैर-अनुमेय गतिविधियों का कार्यान्वयन , कार्यों का विभाजन, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी जैसे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को उजागर करने वाली केंद्रीय टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर , मंत्रालय ने राज्य को इनमें सुधार के लिए कई पत्र भेजे थे। किन्तु, कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप , केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण, अधिनियम की धारा 27 के तहत 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया है।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार , ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की माँग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्रालय समय-समय पर दो खेप में निधियां जारी करता है , जिसमें प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किश्तें होती हैं , जो "स्वीकृत" श्रम बजट , कार्यों की माँग , प्रारंभिक शेष राशि , निधियों के उपयोग की गति , लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को 44,323 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है , जिसमें पिछले वित्त वर्ष की पूरी लंबित मजदूरी देयता और 50% सामग्री देयता शामिल हैं। तदनुसार , आज की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की कोई लंबित मजदूरी देयता नहीं है। मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 403 के भाग (ख) के उत्तर में उललिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	7989.09	7332.63	7688.29
2	अरुणाचल प्रदेश	577.58	426.10	558.42
3	असम	2052.35	2221.38	1923.41
4	बिहार	6395.29	6200.03	6708.48
5	छत्तीसगढ़	3383.55	2888.56	3338.56
6	गोवा	5.12	0.88	3.70
7	गुजरात	1692.07	1801.62	1538.79
8	हरियाणा	373.99	476.71	587.75
9	हिमाचल प्रदेश	1157.48	997.13	1198.06
10	जम्मू और कश्मीर	1050.61	920.44	1149.89
11	झारखंड	2708.64	2916.76	2691.77
12	कर्नाटक	6225.28	5415.74	5694.73
13	केरल	3818.43	3513.48	3124.29
33	लद्दाख	68.93	62.64	85.98
14	मध्य प्रदेश	5702.13	5871.14	6217.87
15	महाराष्ट्र	2549.73	3034.44	4405.68
16	मणिपुर	1086.63	0.00	579.91
17	मेघालय	1116.92	912.33	1151.69

18	मिजोरम	538.72	506.06	608.26
19	नागालैंड	897.45	637.96	285.25
20	ओडिशा	4638.36	4891.89	3744.64
21	पंजाब	1182.13	1166.55	1328.41
22	राजस्थान	9662.99	8671.62	7572.48
23	सिक्किम	92.55	111.95	96.26
24	तमिलनाडु	9706.62	12603.36	7552.80
25	तेलंगाना	2988.68	3508.59	3807.46
26	त्रिपुरा	922.03	1043.59	1038.87
27	उत्तर प्रदेश	10629.01	9808.55	9699.48
28	उत्तराखंड	792.84	551.66	623.47
29	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार	9.60	0.00	4.44
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.32
32	पुदुचेरी	24.95	58.77	40.56
33	दादरा और नगर हवेली	1.62	2.21	9.02
	कुल	90041.39	88554.76	85058.99

*महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण, दिनांक 09 मार्च, 2022 सें पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया है।